by FAX/Speed post

F. No. A-12018/01/2012-Ad.IIA
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes and Customs

New Delhi, the 2nd December, 2019.

To,

All Cadre Controlling Authorities under CBIC.

Subject: Superintendent of Customs(Preventive) Recuritment Rules, 2019 published in the Gazette of India vide GSR No. 340 dated 13th November, 2019 -Reg.

Sir,

I am directed to forward the Superintendent of Customs (Preventive) Recruitment Rules, 2019 published vide GSR No. 340 dated 13th November, 2019 in the Gazette of India for information and necessary action.

Yours faithfully,

Encl: As above.

(Gaurav Shukla)
Under Secretary to the Government of India
Tele: 011-23095528

Copy to:

(i) DG(HRM), Directorate General of Human Resource Development, CBIC for information.

(ii) DG Systems, CBIC for uploading on CBIC website.

(Gaurav Shukla)
Under Secretary to the Government of India

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 45] नई दिल्ली, नवम्बर 10—नवम्बर 16, 2019, शनिवार/कार्तिक 19—कार्तिक 25, 1941

No. 45] NEW DELHI, NOVEMBER 10—NOVEMBER 16, 2019, SATURDAY/KARTIKA 19—KARTIKA 25, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2019

सा.का.नि .340(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधीक्षक, सीमा-शुल्क (निवारक), समूह 'ख' भर्ती नियम, 1983 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में अधीक्षक, सीमाशुल्क (निवारक), समूह 'ख'राजपत्रित के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधीक्षक, सीमाशुल्क (निवारक) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—

ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट अधीक्षक, सीमाशुल्क (निवारक) के पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों पर लागू होगा।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर.—** उक्त पदों की संख्या, उनके वर्गीकरण और संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वही होगा जो कि इस नियम में संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. संवर्ग.—

उक्त पदों को निम्नलिखित पांच संवर्गों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) कोलकाता सीमा-शुल्क सदन संवर्ग, जिसमें कोलकाता (पत्तन) और कोलकाता (विमानपत्तन) सीमा-शुल्क आयुक्तालय के सीमा-शुल्क (निवारक) के अधीक्षक आयेंगे ;

(ii) मुम्बई सीमा-शुल्क सदन संवर्ग, जिसमें मुम्बई-I मुम्बई-II,मुम्बई-IIIसीमा-शुल्क जोन और गोवा सीमा-शुल्क सदन (निवारक) के अधीक्षक आयेंगे ।

(iii) चेन्नई सीमा-शुल्क सदन संवर्ग, जिसमें चेन्नई सीमा-शुल्क जोन के चेन्नई कस्टम सदन और चेन्नई सीमाशुल्क (निवारक) के अधीक्षक आयेंगे ।

(iv) कोच्चीन सीमा-शुल्क सदन संवर्ग, जिसमें कोच्चीन सीमा-शुल्क सदन और कोच्चीन सीमा-शुल्क (निवारक) आयुक्तालय के सीमाशुल्क (निवारक) के अधीक्षक आयेंगे ।

(v) विशाखापट्टनम सीमा-शुल्क सदन संवर्ग, जिसमें विशाखापट्टनम कस्टम सदन के और विशाखापट्टनम सीमा-शुल्क सदन(निवारक) के सीमाशुल्क (निवारक) के अधीक्षक आयेंगे ।

5. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य बातें वहीं होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट किये हैं।

6. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार, का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य विवाह के दूसरे पक्षकार की स्वीय विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समाचीन है, वहां उसे लिए जो कारण है लेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृति.—**इन नियमों की कोई बात,ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स स्तर	चयन पद है अचयन पद	सीर्धी भर्ती के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (निवारक)	2388*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर 8 (47600-151100) रुपये)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहत आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा, की अवधि,यदि कोई हो,	भर्ती की पद्धित सीधे लोगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन के द्वारा भर्त्तीकी दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्तिया आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नत समिति है तो उसकी संरचना	भर्त्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन –मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400/- रुपये) में ऐसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक जिन्होंने इस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो औरजिसने विभाग द्वारा विहित 2-4 सप्ताहों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया हो । **टिप्पण:**जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहे हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है,अगली उन्नतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी प्रोन्नति की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** 1. अधिकारिता क्षेत्र में मुख्य आयुक्त, सीमा-शुल्क और केन्द्रीय माल एवं सेवाकर –अध्यक्ष 2. संबंधित आयुक्त -सदस्य 3.अपर आयुक्त(कार्मिक और सतर्कता) संवर्ग नियंत्रक आयुक्तालय -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए-12018/01/2012-एडी.IIए]

गौरव शुक्ला,अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

New Delhi, the 13th November, 2019

G.S.R. 340.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Superintendent of Customs (Preventive), Group 'B' Recruitment Rules, 1983 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Superintendent of Customs (Preventive), Group 'B' Gazetted in the Central Board of Indirect Tax and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Superintendent of Customs (Preventive) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—

These rules shall apply to persons appointed to the posts of Superintendent of Customs (Preventive) specified in column(1) of the Schedule annexed in these rules.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Cadre.—

The said posts shall be divided into five cadres namely:

(i) Kolkata Custom House cadre comprising Superintendents of Customs (Preventive) of Kolkata (Port) and Kolkata (Airport) Customs Commissionerates;

(ii) Mumbai Custom House Cadre comprising Superintendents of Customs (Preventive) of Mumbai-I, Mumbai-II, Mumbai-III Customs Zones and Goa Custom House;

(iii) Chennai Custom House cadre comprising Superintendents of Chennai Custom House and Customs (Preventive) of Chennai Customs Zone;

(iv) Cochin Custom House cadre comprising Superintendents of Customs (Preventive) of Cochin Custom House and Cochin Customs (Preventive) Commissionerate;

(v) Vishakhapatnam Custom House cadre comprising Superintendents of Vishakhapatnam Custom House and Customs (Preventive) of Vishakhapatnam Custom House.

5. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

6. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Superintendent of Customs (Preventive)	**2388***(2019) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100/-)	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or Absorption and percentage of vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100 percent Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Preventive Officer in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400/-) with two years' regular service in the grade having successfully completed 2-4 weeks training as prescribed by the Department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:-** 1. Jurisdictional Chief Commissioner of Customs or Central Goods and Service Tax – Chairman; 2. Commissioner concerned – Member; 3. Additional Commissioner (Personnel and Vigilance) of the Cadre Controlling Commissionerate – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/01/2012-Ad.IIA]
GAURAV SHUKLA, Under Secy.